

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक : 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक-ता०..... तक ।

जिला-.....हजारीबाग..... सं० 03.....09..... सन् 2017..... ।

केश का प्रकारभूमि मापी..... ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	<p>श्रीमती विलासो देवी वगै० ग्राम- बासाडीह पो०-जरबा थाना- चरही जिला-हजारीबाग ने आवेदन दे कर ग्राम -बासाडीह थाना सं०-23 के कमशा खाता सं०-08,11,42,8,25 प्लॉट सं०- 583,586,574,580,584 कुल रकवा- 3 ए० 59.75 डी० का मापी सरकारी अमीन से करने हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>आवेदक के आवेदन की जांच संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से करायी गयी ।</p> <p>संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया है कि ग्राम- बासाडीह थाना सं०-23 के खाता सं०-08,11,42,08 के प्लॉट सं०-583,586,574 कुल रकवा - 2 ए० 91.75 डी० आवेदक के जमाबंदी कायम है एवं रैयती खाते की है। वर्ष- 2015-16 तक सरकारी रसीद निर्गत है ।</p> <p>राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा आवेदक से सरकारी मापी शुल्क लेकर उक्त भूमि का नापी करने का अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अंचल नाजीर को आदेश दिया जाता है कि आवेदक से एक दिन का मापी शुल्क 1160/- (एक हजार एक सौ साठ) रुपये लेकर नाजीर रसीद निर्गत करें । मापी हेतु अंचल अमीन को तथा स्थल पर उपस्थित होने हेतु राजस्व कर्मचारी श्रीमती विलासो देवी पति स्व० ललकु महतो ग्राम- बासाडीह एवं श्री प्रकाश महतो पिता- स्व० जेतु महतो ग्राम- बासाडीह को नोटिस निर्गत करें ।</p> <p>मापी होने के पश्चात अभिलेख मापी प्रतिवेदन के साथ उपस्थापित करे।</p> <p style="text-align: right;">Neetu Singh 11/3/17 अंचल अधिकारी, चुरचू।</p>	

7.10.22

अभिलेख उपस्थापित।

अपरिहार्य कारण से प्रश्नगत भूमि का सीमांकन नहीं हुआ। वर्तमान समय में सीमांकन की प्रक्रिया Online निष्पादित की जा रही है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।
अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित।



अंचल अधिकारी
चुरचू।



अंचल अधिकारी,
चुरचू।